न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

राज़स्व केम्प कोर्ट ग्रां. पं. झाड़ला

पीठासीन अधिकारी :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं. 40/2017

1. हमसी पत्नी इमामुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी बंजारो की ढ़ाणी भोजपुरा, तह. फागी, जिला जयपुर।

वादीया

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरारहक इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय :: दिनांक :– 19.05.2017

आज वाद–पत्र केम्प कोर्ट ग्रां. पं. झाड़ला में पेश हुआ जिसके संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खतोनी संख्या 399 के आराजी खसरा नं. 23 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 24/2 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि वाके ग्राम भोजपुरा, तह. फागी, जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादीया राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराती चली आ रही है। विवादग्रस्त आराजी में वादीया का नाम हमसीरा पत्नी इमामुद्दीन खां रिकार्ड में दर्ज है जो गलत नाम दर्ज हो गया वादीया का नाम हमसी की जगह हमसीरा विक्रय पत्र में गलत अंकन हो गया है इसलिये न्यायहित में हमसीरा पत्नी इमामुद्दीन खां जगह

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी, फागी
जिला-जयपुर

हमसी पत्नी इमामुद्दीन राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना आवश्यक है। हमसीरा पत्नी इमामुद्दीन खां व हमसी पत्नी इमामुद्दीन खां एक ही महिला है इस नाम के अलावा इस नाम की अन्य कोई महिला इस गाँव में नही है। बल्कि अन्य आराजी ग्राम भोजपुरा में वादीया का नाम हमसी पत्नी इमामुद्दीन खां नाम दर्ज है एवं वादीया का राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड से पूर्णतया सिद्ध होता है कि वादीया का नाम हमसी है इसलिये वादीया का नाम हमसीरा के स्थान पर हमसी राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है। इसलिये वादीया उक्त आराजीयात की घोषणा करवाने एवं दुरस्ती इन्द्राज करवाने की अधिकारी है। वादीया ने उक्त आराजीयात को काफी पैसा खर्च कर समतल व उपजाऊ बना लिया है। उक्त आराजीयात की वादीया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। एवं शान्ति पूर्वक काबिज काश्त चली आ रही है वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जावें कि वाद पत्र में वर्णित अनुसार आराजी की वादीया खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रिकार्ड में हमसीरा के स्थान पर हमसी किया जाकर पालना बाबत् तहसीलदार फागी को आदेश फरमाय जावें। दीगर अनुतोष जो मुफीद वादीया को अता फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी ने केम्प कोर्ट झाड़ला में जवाब दावा पेश किया। जवाब दावा शामिल मिसल किया गया प्रतिवादी ने जवाब दावा में बताया कि वादीया अपने वाद–पत्र को स्वयं सिद्ध करे एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर अपने नाम हमसीरा के स्थान पर हमसी करवाना चाहती है प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। वादीया की ओर से वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज जमाबंदी, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड ग्रामपंचायत का प्रमाण पत्र, परिवार राशनकार्ड पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

वाद–पत्र, जवाब दावा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीया ने वाद घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर अंकित किया है ग्राम भोजपुरा के खाता संख्या 399 के आराजी खसरा नं. 23 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 24/2 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा में वादीया का नाम हमसीरा गलत दर्ज हो गया जबकि सही नाम हमसी है। वादीया का नाम विक्रय पत्र में सहवन से हमसी की जगह हमसीरा दर्ज हो जाने के कारण जमाबन्दी में नाम गलत दर्ज हो गया। अन्य आराजी में वादीया का नाम हमसी ही रिकार्ड में दर्ज है सरकार पैरोकार के जवाब में भी वादीया का नाम गलत होना एवं दुरस्ती योग्य होना स्वीकार किया है वादीया का नाम मतदाता पहचान पत्र व राशनकार्ड, आधार कार्ड एवं ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र में भी हमसी पत्नी इमामुद्दीन खां सही नाम अंकित है उपरोक्त के आलोक में लोक अदालत की भावना से वादीया का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर खाता संख्या 399 के आराजी खसरा नं. 23 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 24/2 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि वाके ग्राम भोजपुरा, तह. फागी जिला जयपुर में स्थित भूमि में दर्ज रिकार्ड हिस्सेनुसार हमसी पत्नी इमामुद्दीन खां को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं राजस्व रिकार्ड में हमसीरा पत्नी इमामुद्दीन खां के स्थान पर हमसी पत्नी इमामुद्दीन खां दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है निर्णय मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो पालना बाबत् तहसीलदार फागी को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2017 को लोक अदालत ग्रा. पं. झाड़ला में खुले आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अदालतः– उपखण्ड अधिकारी मुकाम फागी जिला जयपुर।

राजस्व केम्प कोर्ट झाड़ला

इजलासः– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला–जयपुर

हमसी पत्नी इमामुद्दीन,

जाति मुसलमान, निवासी बनाम तहसीलदार

बंजारो की ढ़ाणी भोजपुरा, तह. फागी, जिला जयपुर।

मुकदमा नं. 40/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनेफिसाल कतई रूबरू सावन कुमार चायल आर.ए.एस. ने हाजिरी स्वयं वादीया मिनजानिब मुदई रूबरू सरकारी पैरोकार प्रतिवादी मिन जानिब मुद्दयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर खाता संख्या 399 के आराजी खसरा नं. 23 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 24/2 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि वाके ग्राम भोजपुरा, तह. फागी जिला जयपुर में स्थित भूमि में दर्ज रिकार्ड हिस्सेनुसार हमसी पत्नी इमामुद्दीन खां को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं राजस्व रिकार्ड में हमसीरा पत्नी इमामुद्दीन खां के स्थान पर हमसी पत्नी इमामुद्दीन खां दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है ।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

निज................................मुबलिग.......................................बाबत्...........................

.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह...फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...................................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 19.05.2017 को जारी की गई।

दस्तखत..................

ओहदा....................

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी फागी
जिला–जयपुर

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुददयलह	रूपये	पैस
स्टाम्प अर्जा दावा			स्टाम्प अर्जा दावा		
स्टाम्प वकालतनाम			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान	—Nil—		खर्चा गवाहान	—Nil—	
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)